ship of Shri S.R. Sathyam, a former Secretary (Textiles) inter-alia, to have a fresh look at the existing Textile Policy. One of the terms of references of the said Committee is to review the measures taken so far for tackling sickness in the textile industry and to make suggestions for improving the economic viability of the textile industry as also to identify steps which would be necessary to prevent and tackle sickness in the industry, including the need for structural adjustments though re-deployment of labour and capital.

12.00 Noon

INTRODUCTION OF MINISTERS

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहार वाजपेयी): माननीय सभापति जी, आप की अनुमति से मैं आप को तथा आप के माध्यम से पूरे सदन को अपने नए सहयोगियों का परिचय कराना चाहता हूं: श्री जसवंत सिंह, विदेश मंत्री।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Sir, why has Sushma Swaraj been thrown out?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: श्री जगमोहन, संचार मंत्री।

MISS SAROJ KHAPARDE (Maharashtra): Sir, it is very unfortunate. They are talking about women, but not a single woman has been inducted into the Cabinet.

श्री अटल बिहार वाजपेयी: श्री प्रमोद महाजन, सूचना तथा प्रसारण मंत्री।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report (1997-98) of the Commission of Railway Safety, Lucknow

THE MINISTER OF POWER (SHRI P. R. KUMARAMANGLAM): Sir on behalf of SHRI ANANTH KUMAR, I lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Annual Report of the Commission of Railway Safety, Lucknow, for the year 1997-98, under section 10 of the Railway Act, 1989.

I. Notifications of the Ministry of Finance.

II. Report and Accounts (1997-98) of the Centre for policy Research New Delhi and related Papers.

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): महोदय, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

I. (क) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) अधिसूचनाओं पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित:—

(1) अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान एक वित्तीय वर्ष में उन्हीं दो व्यापारियों के बीच की गई बिक्री के सभी लेन-देनों को शामिल करने वाले एक ही फार्म 'सी' को प्रस्तुत करने के संबंध में केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन और आवर्त) संशोधन नियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० 483, दिनांक 7 अगस्त, 1998।

(2) अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान एक वित्तीय वर्ष में उन्हीं दो व्यापारियों के बीच की गई बिक्री के लेन-देनों को शामिल करने वाले फार्म 'सी' के संबंध में एक लाख रुपये की आर्थिक सीमा को हटाने के संबंध में केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० 695(ई०) दिनांक 20 नवम्बर, 1998।

(ख) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन सीमा शुल्क (सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा की गई सेवाओं के लिए फीस) विनियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सा०का०नि० 558 (ई) दिनांक 4 सितम्बर, 1998 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) उस पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित।